राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम

संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात् इसमें संघ के सरकारी काम-काज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना वांछित है। भारत सरकार का प्रयास है कि सरकारी काम- काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी काम-काज का निपटान शीघ्रता और कुशलता से हो और जो कर्मचारी हिंदी में प्रवीण नहीं हैं उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाय। प्रशिक्षण के प्रति कर्मचारियों में रूचि बढ़ाने तथा इस काम को गति प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई है। राजभाषा नीति के मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं:-

(1) भारत का संविधान
(2) राजभाषा अधिनियम 1963, यथासंशोधित 1967
(3) राजभाषा संकल्प 1968
(4) राजभाषा नियम 1976 यथासंशोधित 1987
(5) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश, अनुदेश, आदि ।

संविधान में राजभाषा संबंधी उपबंध - संविधान के 17वें भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं जिनसे हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इन अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा (उदाहरणार्थ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तथा 10 अंक प्रयुक्त होंगे न कि हिंदी के अंक १,२,३,४,५,६,७,८,९ तथा १० के रूप में।)

अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार संविधान लागू होने से अगले 15 वर्षों तक यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति का गठन -

अनुच्छेद 344(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के पाँच साल बाद अर्थात सन् 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया ।

अनुच्छेद 344 (2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद 344 (3) के अनुसार आयोग की सिफारिशों पर राय देने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद 343 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार होगा कि वे अपने यहाँ प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं। अनुच्छेद 345 से यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को अपनी राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए संघ की भांति 15 सालों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपनी सुविधानुसार किसी भी समय अंग्रेजी की जगह सभी कार्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं का उल्लेख है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी।

संघ और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा

अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था करते हुए कहा गया है कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है, वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी। संविधान बनाते समय यह भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन आपसी राय से राज्य हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं।

राज्य की किसी भी भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता देना

अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति जी राज्य की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी काम- काज के लिए मान्यता दे सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा

अनुच्छेद 348 के खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। संसद और राज्य विधान मंडल के कानून के साथ संविधान के या संविधान के तहत बनाए नियमों, आदेशों विनियमों और उपविधियों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा।

अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति महोदय की पूर्वानुमति से किसी राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्यवाहियों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकतें हैं।

अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार यदि किसी राज्य में विधि के लिए अंग्रेजी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गजट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेजी अनुवाद उनका प्राधिकृत पाठ होगा ।

भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है कि 348 (1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के पहले कानून बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अनुच्छेद 344 के अधीन गठित आयोग और समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकते थे। तदनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही राजभाषा अधिनियम 1963 को (जिसमें 348वें अनुच्छेद में की गई कानूनी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुझाया गया था) संसद में पेश किया गया था।

आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन/अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। यह शर्त जरूर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो वह संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए और अगर यह किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए। **अनुच्छेद 350 (क) तथा 350 (ख)** के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

351वें अनुच्छेद में हिंदी के विकास के विषय में, संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

"हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। भाषा की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप-शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

संविधान बनाने वालों की यह इच्छा थी कि हिंदी भारत में इस प्रकार विकसित हो कि सबके लिए ग्राह्य हो और सभी प्रांतों के लोग इसे अपनाकर इसमें सरकारी कामकाज कर सकें। भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख दो जगह हुआ है :-

1. संविधान के अनुच्छेद 343 में (देवनागरी लिपि में लिखित संघ की राजभाषा हिंदी)
2. अनुच्छेद 351 में (अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में भी हिंदी का समावेश)

हिंदी के दोनों रूपों **संघीय** और **प्रादेशिक** का उल्लेख मिलता है।

राष्ट्रपति जी का आदेश 1952

राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 27 मई, 1952 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा अंतरराष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों, के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।

राष्ट्रपति जी का आदेश 1955

इस आदेश में जनता के साथ पत्र-व्यवहार प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, सरकारी प्रस्तावों, हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों, संधियों करारों, विदेशी सरकारों और उनके राजदूतों के साथ पत्राचार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्राचार आदि में अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा के प्रयोग का प्रावधान किया गया।

राजभाषा आयोग

07 जून 1955 में खेर आयोग के रूप में पहला राजभाषा आयोग स्थापित किया गया था। इसने 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस आयोग ने संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग, संघ और किसी राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा आदि पर अपनी सिफारिशें देनी थीं। सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार (संसदीय समिति गठित करनी थी) जिसमें संसदीय सदस्यों की संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाना था जो संघ के कार्यों का मूल्यांकन करके उस पर सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपत्ति को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार 1957 में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर समिति का गठन हुआ जिसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। यह समिति पंत समिति के नाम से जानी जाती है, इसने 1959 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा, उन्होंने सिफारिश की थी कि 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सह-राजभाषा के रूप में जारी रहना चाहिए ।

राष्ट्रपति का आदेश 1960

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग शुरू किए जाने के लिए प्रारंभिक उपायों के संबंध में सन् 1960 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, जिसमें अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष व्यवस्था करने के बारे में निर्देश जारी किए गए:-

(क) हिंदी शब्दावली के विकास के सिद्धांत और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन ।

(ख) प्रशासनिक संहिताओं व अन्य प्रक्रिया साहित्य का हिंदी में अनुवाद ।

(ग) प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण देना ।

(घ) हिंदी का प्रचार-प्रसार और विकास, अधिनियमों, विधेयकों आदि की भाषा ।

(च) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा ।

(छ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए प्रारंभिक कदम ।

खेर आयोग (1955), पंत समिति (1957) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया।

राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा उक्त अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुल 9 धाराएं और 11 उपधाराएं है। अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित है:-

1. यह अधिनियम अंग्रेजी की सतत् प्रयोग की अनुमति देता है:-
   क) संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए; और
   ख) संसद में कार्य करने के लिए ।

2 यह संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच परस्पर पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्धारित करता है।

3. यह 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है जैसे- अधिसूचनाएँ, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा करार लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फार्म, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात ।

राजभाषा संकल्प 1968-18 जनवरी, 1968 संशोधित

राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन करने के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 1967 में एक संकल्प पारित किया जो 18 जनवरी 1968 में अधिसूचित किया गया। इसे राजभाषा संकल्प 1968 की संज्ञा दी गई और यह सरकार की राजभाषा नीति का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें पहली बार संसद में कार्यपालिका/सरकार को निदेश दिए कि हिंदी के प्रचार तथा विकास को राजकीय प्रयोजनों के लिए तथा उसका क्रमिक प्रयोग बढ़ाने हेतु एक गहन तथा व्यापक कार्यक्रम तैयार करे और उसे कार्यान्वित करे साथ ही इस विषय में प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाए । तब से हर वर्ष गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और कार्यान्वयन की मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में कार्यालयों से कितना कार्य हिंदी में किया जाना अपेक्षित है, इसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा-सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए ।

हिंदी भाषा/भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्राथमिकता देते हुए और हिंदीतर भाषा/भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए त्रिभाषा-सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए ।

राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987

ये नियम राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार**

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम, 1976 है।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएँ** - नियम में केंद्रीय सरकार के कार्यालय, हिंदी का कार्यसांधक ज्ञान, हिंदी में प्रवीणता आदि की परिभाषा दी गई हैं।

(क) अधिनियम से अभिप्राय राजभाषा अधिनियम, 1963 है।

(ख) केंद्र सरकार के कार्यालय से अभिप्राय निम्नलिखित कार्यालयों से है-

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग तथा कार्यालय ।
2. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग या समिति आदि ।
3. केंद्र सरकार के नियंत्रण अधीन निगम, निकाय स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

(ग) कर्मचारी से अभिप्राय केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियुक्त व्यक्ति ।

(घ) अधिसूचित कार्यालय से अभिप्राय नियम 10 के उप-नियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय ।

(च) हिंदी में प्रवीणता से अभिप्राय नियम 9 में वर्णित प्रवीणता से है।

(छ) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से अभिप्राय नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान से है।

(ज) कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों अधीन 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में विभाजित किया है।

3. **<u>केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों तथा राज्यों आदि के साथ पत्राचार की व्यवस्था</u>।**

1. 'क' क्षेत्र के किसी राज्य या किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी में होगा और यदि किसी मामले में अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना होगा। 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों एवं जनता के साथ सामान्य स्थिति में पत्राचार केवल हिंदी भाषा में होगा ।

2. 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ पत्राचार हिंदी और अंग्रेजी में होगा और यदि अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाएगा तो हिंदी अनुवाद साथ में भेजना होगा। राज्य सरकार, किसी अवधि विशेष के लिए किसी वर्ग या श्रेणी विशेष का पत्राचार अंग्रेजी अथवा हिंदी में तथा अन्य भाषा में किसी अनुवाद सहित भेजने के लिए कह सकती है और उस स्थिति में उन्हें अनुवाद भेजा जाना चाहिए ।

'ख' क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा ।

3. ''ग' क्षेत्र की राज्य सरकारों अथवा वहाँ की जनता के साथ पत्राचार केवल अंग्रेजी में होगा।

4. 'ग' क्षेत्र केंद्रीय सरकार का कार्यालय 'क' अथवा 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश को अपने पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेज सकता है।

4. **<u>केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच में पत्राचार</u>**

1. मंत्रालयों/विभागों के बीच पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा ।
2. 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/कार्यालयों, विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बीच केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अनुपात में हिंदी में पत्राचार होगा। इसके साथ ही हिंदी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों के अनुरूप होगा ।
3. 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के बीच केवल हिंदी में।
4. अंतरक्षेत्रीय कार्यालयों के बीच हिंदी अथवा अंग्रेजी में ।
5. 'ख' अथवा 'ग' क्षेत्र में कार्यालयों के बीच हिंदी अथवा अंग्रेजी में।

5. **<u>हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने की अनिवार्यता</u>** - राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार सभी क्षेत्रों से प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है।

6. **<u>14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी जारी करना</u>** - राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) में दिए गए 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएँ प्रयोग में लाई जाएँगी । अधिसूबनाएँ, संकल्प आदेश, नियम, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा, करार लाइसेंस, परमिट निविदा सूचना, निविदा फार्म, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद के किसी सदन, सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजात। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ही नियम का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

7. **अभ्यावेदन आवेदन आदि की भाषा** - कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपीलें, या अभ्यावेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दे सकता है। यदि यह हिंदी में हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उनका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। यदि कर्मचारी सेवा से संबंधित, अनुशासनिक विषय या कोई आदेश अथवा सूचना की प्रति की मांग करता है तो वह उसे बिना विलंब उसकी मांग के अनुसार उसी भाषा में (मांगी गई भाषा में) दी जाएगी ।

8. **हिंदी अथवा अंग्रेजी में टिप्पणी** - कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए स्वंतत्र है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसे वह दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

नियम 8 (1) यदि कोई विशेष दस्तावेज, विधिक प्रकृति का है अथवा तकनीकी प्रकृति का है तो इसका निर्णय विभाग अथवा उस कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

नियम 8 (2,3) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति के हों, अन्यथा नहीं। कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, यह निर्णय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।

नियम 8 (4) के अनुसार किसी कर्मचारी ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन संबंधी कार्यालय अधिसूचित किया जा चुका है, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. **हिंदी में प्रवीणता** - यदि किसी कर्मचारी ने-

1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। (नियम 9-क)
2. स्नातक परीक्षा अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। (नियम 9-ख) या
3. निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा कर दे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है- (मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। (नियम 9-ग)

10. **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान** - यदि किसी कर्मचारी ने-

1. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है:

या

2. केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है

या

3. अधिकारी या कर्मचारी यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

4. यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने की व्यवस्था है। यदि केंद्रीय सरकार की राय में किसी कार्यालय में कार्यसाधन ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या किसी तारीख से कम हो जाए उसे अधिसूचना द्वारा अनधिसूचित घोषित किया जाएगा ।

11. **<u>मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि</u>**

1. लेखन सामग्री, नामपद पत्रशीर्ष लिफाफे, विजिटिंग कार्डस, रबड़ की मोहरें, हिंदी व अंग्रेजी में लिखी एवं मुद्रित होंगी ।

2. साइन बोर्ड तीनों भाषाओं में क्रम से (क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी में) समान आकार के वर्णों में होंगे ।

3. प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी का प्रयोग करना है। प्रशिक्षण सामग्री दोनों भाषाओं में तैयार करनी है।

4. जिन दस्तावेजों पर स्थान की कमी हो, उन पर मोहर एक ही भाषा में (अंग्रेजी, हिंदी अथवा क्षेत्रवार) लगाई जा सकती है।

5. सरकारी समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र द्विभाषी होंगे। स्टाफ कार की प्लेटों पर नाम ऊपर हिंदी में और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा जाएगा।

12. **<u>अनुपालन का उत्तदायित्व</u>**

प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इस प्रयोजन के लिए उन्हें उपयुक्त और प्रभावी जॉच बिंदु बनाने चाहिए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह राजभाषा अधिनियम/नियम के अनुसार जारी किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1--संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

   परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

   परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “ या अंग्रेजी में ” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले“पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “ पंद्रह वर्ष ” शब्दों के स्थान पर “ चालीस वर्ष ” शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

   परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

a. अंग्रेजी भाषा का, या

b. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

   a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

   b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

   c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

   d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

   e. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं--

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

    a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

    b.

        i. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

        ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

        iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

    परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा--

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं--

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी--

1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।